

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 221/2025(GCMS : 2025/339)

आवास फाईनेसर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड रकवायर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर-302020 व स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. सुखवीर कौर पत्नी श्री बुटा सिंह निवासी वार्ड नं. 09, 11 एस.जी.एम. सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज. पिन नं. 335705 अन्य पता पट्टा संख्या 11, सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. बुटा सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह निवासी वार्ड नं. 09, 11 एस.जी.एम. सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज. पिन नं. 335705

01.10.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार मूण्ड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुखवीर कौर एवं बुटा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/-लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 08.04.2025 को 5,19,272/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखवीर कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 11 स्थित सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में कर्म खान, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में अनवर खान, पश्चिम दिशा में सुखवीर कौर है, जिसका साईज 1750 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैंने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुखवीर कौर एवं बुटा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/- लाख रुपये दिनांक 20.03.2023 को स्वीकृत किये। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखवीर कौर ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 11 स्थित सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में कर्म खान, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में अनवर खान, पश्चिम दिशा में सुखवीर कौर है, जिसका साईज 1750



वर्गफुट है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 05.04.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) की तामील हो गई थी।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुखवीर कौर की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 11 स्थित सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में कर्म खान, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में अनवर खान, पश्चिम दिशा में सुखवीर कौर है, जिसका साईज 1750 वर्गफुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 08.04.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 08.04.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.04.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुखवीर कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास

बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुखवीर कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 11 स्थित सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.) जिसके उत्तर दिशा में कर्म खान, दक्षिण दिशा में सड़क, पूर्व दिशा में अनवर खान, पश्चिम दिशा में सुखवीर कौर है, जिसका साईज 1750 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Pansu
(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर